

संख्या— BSDM/ KYP - 96/2021 - 860

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए जिला पदाधिकारी/समाहर्ता के द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आवागमन में परेशानी एवं स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पडने की सम्भावना के मद्देनजर सभी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

सभी कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिलों में जिला पदाधिकारी/समहर्ता के द्वारा निर्गत आदेश का पालन करें। यदि आपके द्वारा बैच Extension का अनुरोध बिहार कौशल विकास मिशन को भेजा जाएगा तो बैच Extension की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

हुं/  
मिशन निदेशक  
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक—BSDM/ KYP - 96/2021 - 860

पटना, दिनांक—20-06-23

प्रतिलिपि:— सभी SDC/BSDC/कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ पेषित।

2. PD (MKCL)/PD (E&Y) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित।
3. मिशन प्रबंधक (आई0टी0)/मिशन प्रबंधक(परियोजना) को सूचनार्थ पेषित।
4. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक  
बिहार कौशल विकास मिशन।